

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर की जी.बी. बैठक दिनांक 17.10.2022 में एजेण्डा संख्या 46 के निर्णयानुसार जी.एन.एम. एवं ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में पुनर्मूल्यांकन हेतु केवल प्रथम प्रयास की बाध्यता को समाप्त कर सभी (मुख्य एवं पूरक) परीक्षाओं के सभी विषयों में पुनर्मूल्यांकन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय जी.एन.एम. प्रथम वर्ष परीक्षा अप्रैल 2022 से ही लागू किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है।


(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर।

क्रमांक: आर.एन.सी/परीक्षा/2022/3665
प्रतिलिपी सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:- 21/10/2022

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, राज. नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर, राजस्थान।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर, राजस्थान।
4. लेखा शाखा,
5. रक्षित पत्रावली,


(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर।